सं0 16/4/Review/Madhya Pradesh/2017-RU-III

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली–110003
6TH Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi–110003

सेवा में,

मुख्य सचिव,
मध्य प्रदेश सरकार,
भोपाल, मध्य प्रदेश
पिन कोड–463010

दिनांक : 22 अगस्त, 2017

विषयः 23–25 सितम्बर, 2017 तक मध्य प्रदेश राज्य का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्यालय दौरा।

महोदय,

संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य बातों के साथ–साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को यह भी दायित्व देता है कि वह संविधान या किसी अन्य कानून या सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध सुरक्षणों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण एवं प्रबोधन करे और ऐसे सुरक्षणों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करे।

2. तद्नुसार, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने दिनांक 23.09.2017 से 25.09.2017 तक मध्य प्रदेश राज्य में संवैधानिक सुरक्षणों के कार्यान्वयन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए चलाये जा रहे विकास कार्यक्रमों/स्कीमों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। दौरे के दौरान, आयोग सामुदायिक वन अधिकार (Community Forest Right) और अन्य मुद्दों को शामिल करते हुए पेसा (PESA), वन अधिकार अधिनियम (Forest Right Act) के कार्यान्वयन तथा नर्मदा सागर बांध एवं अन्य जल संसाधन/औद्योगिक परियोजनाओं से विस्थापित आदिवासियों के पुनर्स्थापन की भी समीक्षा करेगा जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा। आयोग दौरे के निष्कर्षों के बारे में माननीय मुख्य मंत्री और राज्य के राज्यपाल को भी अवगत कराएगा। इस संबंध में दौरा कार्यक्रम का विवरण अलग से भेजा जाएगा।

3. राज्य समीक्षा के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग प्रश्नावली की एक प्रति राज्य द्वारा सूचना उपलब्ध कराये जाने के लिए संलग्न है। आप द्वारा प्रश्नावली में दिए गए विभिन्न मुद्दों के उत्तर, मध्य प्रदेश राज्य, भोपाल की समीक्षा बैठक के लिए आधार बिन्दु होंगे। यह अनुरोध किया जाता है कि प्रश्नावली से संबंधित सूचना तैयार की जाए और दिनांक 30.08.2017 तक आयोग को सॉफ्ट कोपी में js@ncst.nic.in और dircood@ncst.nic.in पर भेज दी जाए।

4. आयोग की ओर से श्रीमती के.डी. बन्सौर, निदेशक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (दूरभाष सं0 24615012) दौरे का समन्वय करेंगी। यह अनुरोध किया जाता है कि राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित दौरे का समन्वय करने के लिए राज्य सरकार के संयुक्त सचिव रैंक के समकक्ष एक अधिकारी को कृपया नामित किया जाए।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,

22.08.17

(शिशिर कुमार रथ)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं0 24603669

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः
प्रधान सचिव,
अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग,
मध्य प्रदेश सरकार
भोपाल (मध्य प्रदेश)

प्रतिलिपिः–

1. माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के निजी सचिव।
2. माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के निजी सचिव।
3. माननीय सदस्य (एचसीवी), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के निजी सचिव।
4. माननीय सदस्य (एचकेडी), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के निजी सचिव।
5. माननीय सदस्य (एमसीआई), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के निजी सचिव।
6. सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
7. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के निजी सचिव।
8. निदेशक (केडीबी), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के निजी सहायक।
9. उप सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
10. अवर सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
11. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
12. सभी अनुभाग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
13. एसएसए (एनआईसी) (आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)

प्रतिलिपिः

सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा सं0 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52–ए, अरेरा हिल्स, भोपाल–462011 (मध्य प्रदेश) को मामले में आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने एवं यह सुनिश्चित करें कि दिनांक 30.08.2017 तक आयोग को अपेक्षित सामग्री पहुंच जाए।